कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.-9454400250, दूरभाष-05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-354/2023 दिनांक-04.11.2023

प्रेस नोट

दिनांक 14.10.2023 को थाना अहरौला क्षेत्र में हुई हत्या व लूट की घटना का सफल अनावरण; पुलिस मुठभेड़ में घायल अभियुक्त सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार; लूटी गयी चार पहिया वाहन, नगदी तथा अवैध तमंचा व कारतूस बरामद

पूर्व की घटना:-

दिनांक 15.10.2023 को वादी श्रीनारायण मिश्र पुत्र काशीनाथ मिश्र निवासी कपरीपार थाना भईल जनपद देवरिया द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि वादी का पुत्र दुर्गेश कुमार मिश्र उम्र 24 वर्ष जो प्रयागराज में 02 वर्ष से गाड़ी चलाने का काम करता था जिसका फोन दिनांक 14.10.2023 की सुबह से स्विच आफ आ रहा था जिससे खोजबीन में वादी को पता चला कि वादी के पुत्र के शव की फोटो पेपर में छपी हुई है जिसे आजमगढ़ मोर्चरी में रखा गया है। वादी द्वारा आजमगढ़ मोर्चरी में जाकर देखा गया तो उन्हें पता चला की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के पुत्र की हत्या कर शव को बरामदपुर पुलिया थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के पास फेंक दिया गया था। लिखित तहरीर के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 335/23 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। बाद विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 394/411/34 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

उपरोक्त घटनास्थल का पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए टीमें गठित कर घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी के क्रम में- (**पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी**)

आज दिनांक- 04/11/2023 को समय लगभग 06.25 बजे थानाध्यक्ष अहरौला सुनील कुमार दुबे मय हमराह को सूचना मिली कि थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 335/23 धारा 302 भादवि में वांछित अभियुक्त फोर व्हीलर गाड़ी से साथ दुर्बाषा गहजी मार्ग पश्चिम पट्टी महलिया के पास मौजूद है, इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर घेराबन्दी की गयी अभियुक्त द्वारा स्वयं को पुलिस से घिरता हुआ देख अभियुक्त द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी, जिसमें पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गयी, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी जिसे उपचार हेतु सीएचसी अहरौला भेजा गया है।

➡ घायल बदमाश की पहचान अंकित सिंह पुत्र मृत्युंजय सिंह निवासी लहुआकला थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष के रूप में की गयी।

➡ अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिंदा व 03 खोखा कारतूस .315 बोर तथा लूट से अभियुक्त के हिस्से में आये हुए 4500 रूपये बरामद किया गया। अभियुक्त का यह कृत्य धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट का दण्डनीय अपराध है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

➡ **मुठभेड़ के दौरान मौके पर मौजुद** चार पहिया वाहन में पूर्व से बैठे 02 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया जिनकी पहचान नवनीत सिंह पुत्र राजेश सिंह सा0 बहुआरा थाना बैरिया जनपद बलिया उम्र करीब 19 वर्ष के रूप में की गयी जिसके कब्जे से एक डेबिट कार्ड, 3600 रुपया तथा एक मोबाइल फोन बरामद किया गया तथा दूसरे व्यक्ति की पहचान निशान्त सिंह पुत्र प्रदीप सिंह सा0 कबिलहा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष के रूप में की गयी जिसके कब्जे से एक ए0टी0एम0, 2400 रुपया व एक मोबाइल फोन बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि प्रयागराज से चालक दुर्गेश कुमार मिश्र पुत्र श्रीनारायण मिश्र की गाड़ी बुक किया गया जहां दुर्गेश द्वारा अपने मालिक से 30000 रूपये नगद लिया गया था। रास्ते में मेरे व साथियों द्वारा पैसा व कार को लूटने की प्लानिंग की गयी हम 05 लोगो ने मिलकर प्लानिंग की थी, लेकिन उक्त घटना को 04 लोग अंजाम दिये थे, उक्त घटना लूट की नियत से की गयी थी जिसके क्रम में दिनांक 14.10.2023 को (मृतक/चालक) दुर्गेश कुमार मिश्रा पुत्र श्री नरायण मिश्रा जो कि जनपद देवरिया के रहने वाला था, जो प्रयागराज में गाड़ी चलाता था जिसकी गाड़ी को 3500 रूपये देकर प्रयागराज से जौनपुर के लिए बुक की गयी थी, जौनपुर पहुंचने के पश्चात अभियुक्तों ने चालक को अतिरिक्त पैसा देकर आजमगढ़ जाने के लिए कहा गया । गाड़ी जनपद आजमगढ़ के माहुल अहिरौला मार्ग के बीच पहुँचते ही अभियुक्तों द्वारा एकान्त स्थान पाकर शराब के फूटे हुए बोतल से चालक के गले पर वार कर हत्या कर दी गयी। हत्या के पश्चात शव को बरामदपुर पुलिया के पास फेंक दिया गया था। अभियुक्तों द्वारा चालक के 30 हजार रूपये, 01 चार पहिया वाहन, 02 एटीएम, आधार कार्ड व मोबाइल लेकर मौके से फरार हो गये ।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 360/23 धारा 307 भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- अंकित सिंह पुत्र मृत्युंजय सिंह निवासी लहुआकला थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ (पुलिस मुठभेड़)
2- नवनीत सिंह पुत्र राजेश सिंह निवासी बहुआरा थाना बैरिया जनपद बलिया
3- निशान्त सिंह पुत्र प्रदीप सिंह निवासी कबिलहा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

बरामदगी- (लूट की गयी 01 चार पहिया वाहन व कुल 10,500 रूपये बरामद)

1. अभियुक्त अंकित सिंह के कब्जे से एक 4 व्हीलर टी-बोर गाडी, लूट के 4500 रूपये, एक देशी तमंचा, 01 जिन्दा व 03 खोखा कारतूस .315 बोर तथा 01 मोबाइल बरामद
2. अभियुक्त नवनीत सिंह के कब्जे से एक डेबिट कार्ड, 3600 रुपया तथा एक मोबाइल फोन बरामद
3. अभियुक्त निशान्त सिंह के कब्जे से एक ए0टी0एम0, 2400 रुपया व एक मोबाइल फोन बरामद

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 335/23 धारा 302 भादवि में धारा 394/411/34 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे मय हमराह थाना अहरौला जनपद आजमगढ़। (पुलिस मुठभेड़ टीम)

2-व0उ0नि0 पवन कुमार सिंह व उ0नि0 कुलदीप कुमार सिंह मय हमराह थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

3-थानाध्यक्ष मधुपनिका मय हमराह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

थाना- जीयनपुर

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित/फरार अभियुक्त के घर धारा 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा

संक्षिप्त विवरण – दिनांक 14.08.2023 को तत्कालीन थानाध्यक्ष बसन्तलाल थाना बिलरियागंज थाना जनपद-आजमगढ़ थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0- 293/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 बनाम 1. नौशाद पुत्र अंसार सा0 मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 2. सलमान पुत्र अंसार सा0 मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 3.फैजान उर्फ झिनक पुत्र अलीदर सा0 मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 4. माजिद पुत्र सज्जाद सा0 मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 5. सर्वेश उर्फ चन्दन पुत्र सम्पति सा0 भोर्रा मकबूलपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष द्वारा सम्पादित की जा रही है।

कार्यवाही का विवरण --- आज दिनांक 04.11.2023 को थानाध्यक्ष विवेक पाण्डेय थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा मु०अ०स० 293/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना बिलरियागंज से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त 1. माजिद पुत्र सज्जाद ग्राम मुहम्मदपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध मा0 न्यायालय से आदेशिका अन्तर्गत धारा 82 द0प्र0सं0 प्राप्त कर नियमानुसार मुनादी करते हुए अभियुक्त माजिद उपरोक्त के घरो पर व सुलभ प्रदर्शित स्थानो पर चस्पा करते हुए समक्ष गवाहान नियमानुसार तामिला करवाया गया।

थाना- बरदह

घर में घुसकर मारपीट करने व छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास– वादी मुकदमा थाना बरदह जिला आजमगढ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गयी कि विजय शंकर राय से मेरा खिड़की-रोशन दान को लेकर विवाद है। दिनांक 3-11-23 को सुबह अभियुक्त 1. विजय शंकर राय, 2. अद्याशंकर राय , 3. उमाशंकर राय पुत्रगण स्व0 राम अधार राय और 4. नितिन राय पुत्र उमाशंकर राय निवासीगण ग्राम बेलवाना थाना बरदह जनपद आजमगढ़ सभी लोग गाली देते हुये घर मे घुसकर वादी और उसके पिता जी को मारने लगे। फिर दोनो को घसीटकर मारते हुये अपने घर में ले जाने लगे बीच बचाव करने पड़ोस की महिला आई तो उनको भी मारकर घायल कर दिये तथा उनके कपड़े भी फाड दिये, हत्या के इरादे से वादी व उसके पिता को अपने घर में ले जाकर कमरे में बन्द कर दिये जहां पर असलहा दिखाकर हमे जान से मारने की कोशिश की गई कि उक्त सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 454/23 धारा 364,323,504,506,354ख,342, भादवि बनाम अभियुक्तगण उपरोक्त पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर धारा 452 भादवि की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण– दिनांक 04.11.23 को उ0नि0 कमला सिंह यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विजय शंकर राय पुत्र स्व0 रामअधार राय साकिन बेलवाना थाना बरदह जनपद आजमगढ को बेलवाना गंगा पोखरा मोड़ के पास से समय 12.50 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- विजय शंकर राय पुत्र स्व0 रामअधार राय साकिन बेलवाना थाना बरदह जनपद आजमगढ

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 454/23 धारा 364,323,504,506,354ख,342, भादवि बढ़ोत्तरी धारा 452 भादवि थाना बरदह आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम – उ0नि0 कमला सिंह यादव मय हमराह थाना बरदह, आजमगढ़

थाना- कोतवाली

PCR पर आये अभियुक्त की निशानदेही पर लूट के 1,22000/- रूपये बरामद

पूर्व की घटना/इतिहास–

वादी प्रमोद कुमार पुत्र रामसेवक निवासी रानीपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ जो रेडियेन्ट कैश मैनेजमेंट सर्विस लि. गोरखपुर में कलेक्शन का काम करता है। दिनांक 3.7.2023 को कई स्थानों से कैश कलेक्शन करते हुए कुल 711911 रूपया इकट्ठा किया और जैसे ही V Mart से समय करीब 12.39 पर निकला कि दो व्यक्ति आकर बंदूक सटाकर पैसे से भरा बैग छिन कर स्पलेन्डर मोटर साइकिल सवार के साथ तीनों भाग गये । जिस सम्बन्ध में थाने पर प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 363/2023 धारा 392 भादवि दर्ज किया गया था। जिसमें दौरान विवेचना धारा 392 भादवि को धारा 395/412/120बी/34/216ए भादवि परिवर्तित किया गया। विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण– प्र0नि0 शशिमौलि पाण्डेय मय हमराहियान द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय जनपद आजमगढ़ के आदेश के क्रम में अभियुक्त विनोद पासी उर्फ विनोद सरोज पुत्र जवाहिर पासी निवासी हटवा थाना मेंहनगर आजमगढ़ को आज दिनांक 4.11.23 को पुलिस अभिरक्षा में लेकर अभियुक्त की निशानदेही पर अभियुक्त के घर ग्राम हटवा थाना मेहनगर आजमगढ़ से दिनांक 4.11.23 को समय 11.15 बजे मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित लूट का 122000 रूपया बरामद किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

PCR पर आये अभियुक्त का विवरणः-

1. विनोद पासी उर्फ विनोद सरोज पुत्र जवाहिर पासी निवासी हटवा थाना मेहनगर आजमगढ़ उम्र

बरामदगी का विवरणः- लूट का 122000 रूपया

पूछताछ का विवरण–- अभियुक्त ने बताया कि जो रुपया आप मेरे साथ चलकर मेरे घर से बरामद किये हैं यह वही रुपया है जो मैनें अपनें अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 03/07/2023 को लूट की घटना कारित करनें के बाद हिस्से में मिला था। साहब मुझे 150000 रुपया हिस्से में मिला था 18000 रुपया मैनें अपनें भाई प्रमोद पासी को दे दिया था शेष बचे पैसे में से 10000 रुपये मैं घर से पकडे जाने के डर से जाते समय किराये व खर्च के लिये ले गया था और शेष 122000 रु0 मैं छिपाकर अपनें घर में काली पन्नी में एक अखबारी कागज में लपेट कर रख दिया था जो आज मैनें आपको दिया हूँ।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 363/2023 धारा 395/412/120बी/34/216ए भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	363/23	395/412/120बी/34/216ए भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
2	533/23	174ए भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
3	12/20	392/411 भादवि	गम्भीरपुर	आजमगढ़
4	17/20	307 भादवि व 3 /25 शस्त्र अधि.	गम्भीरपुर	आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

01. प्र0नि0 शशिमौली पाण्डेय मय हमराह थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ।

थाना मुबारकपुर

अवैध रूप से गाँजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 04.11.2023 को चौकी प्रभारी लोहरा उ0नि0 नरेन्द्र विक्रम सिंह मय हमराह द्वारा दामोदरपुर अण्डर पास से सर्विस लेन पर पहुचे कि एक व्यक्ति पुलिस बल को देखकर फखरूद्दीनपुर गाँव की तरफ भागने लगा शक होने पर व्यक्ति को एक बारगी घेर कर हमराह कर्मचारीगण की मदद से पकड़ लिया गया। जिसने अपना नाम एकलाख पुत्र किताबू निवासी ग्राम फखरूद्दीनपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ बताया जामा तलाशी से अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो ग्राम गाँजा नाजायज बरामद हुआ। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 12.05 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। नियमानुसार थाना हाजा लाकर दाखिला कराया गया। जिसके सम्बन्ध मे मु0अ0सं0- 531/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत है। जिसकी विवेचना उ0नि0 रत्नेश कुमार दूबे द्वारा प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः- एकलाख पुत्र किताबू निवासी ग्राम फखरूद्दीनपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

बरामदगीः- गाँजा 01 किलो ग्राम

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 531/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहासः-

- मु0अ0सं0 205/2023 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
- मु0अ0सं0 206/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
- मु0अ0सं0 267/2021 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
- मु0अ0सं0 531/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम – प्रभारी चौकी लोहरा उ0नि0 नरेन्द्र विक्रम सिंह मय हमराह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना बिलरियागंज

शातिर गोतस्कर व थाने का हिस्ट्रीशीटर अवैध असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ आज दिनांक 04.11.2023 को मय फोर्स को सूचना मिली कि छिही नहर पुलिया पर मौजूद एक व्यक्ति किसी का इंतजार कर रहा है उस व्यक्ति के पास अवैध तमंचा है इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँची और उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकडे गये व्यक्ति ने अपना नाम मो0 साकिब पुत्र स्व0 रशीद निवासी छिंही थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष बताया जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ । उपरोक्त साकिब उपरोक्त का यह कृत अपराध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का दण्डनीय बताते हुये उपरोक्त साकिब को समय 09.40 बजे गिरफ्तारी किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर किस्म का गौतस्कर अपराधी व थाना हाजा का मजारिया हिस्ट्रीशीटर भी है जिसका हिस्ट्रीशीट नं0 23 बी है । गिरफ्तार अभियुक्त के सम्बन्ध में अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है ।

अभियुक्त का नाम व पता

1. मुहम्मद कैफ पुत्र गुफरान अहमद निवासी करमैनी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

बरामदगी-

- अवैध 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 388/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

अपराधिक इतिहास –

- मु0अ0सं0 142/17 धारा 452/323/504/506 भादवि थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- मु0अ0सं0 196/17 धारा 420 भादवि थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ष।
- मु0अ0सं0 27/21 धारा 147/149/307/419/420/467/468/471 भादवि व 4/25 आयुध अधि0 थाना जीयनपुर आजमगढ़
- मु0अ0सं0 28/21 धारा 3/5ए/8 गौहत्या निवारण अधि व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
- मु0अ0सं0 195/22 धारा 411/413 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना दोहरीघाट जनपद मऊ ।
- मु0अ0सं0 388/23 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 श्री योगेन्द्र प्रसाद थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
2. हे0का0 राकेश तिवारी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
3. का0 आफताब आलम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

थाना – अहरौला

चेकिंग के दौरान फर्जी दस्तावेज व नम्बर प्लेट बदलकर ट्रक चलाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, 01 ट्रक व नगदी बरामद ।

दिनांक 03.11.2023 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान निजामपुर पुलिया के पास से समय 15.00 बजे फर्जी दस्तावेज व नम्बर प्लेट बदलकर ट्रक चलाने वाला अभियुक्त अच्छेलाल यादव पुत्र श्यामबिहारी यादव निवासी डुमरीमठिया थाना लार जनपद देवरिया उम्र 40 वर्ष गिरफ्तार किया गया है। एक ट्रक (12 चक्का) व 20 हजार रूपये बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 359/2023 धारा 419/420/467/468/471/473 भादवि पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 359/2023 धारा 419/420/467/468/471/473 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

1. अच्छेलाल यादव पुत्र श्यामबिहारी यादव निवासी डुमरीमठिया थाना लार जनपद देवरिया उम्र 40 वर्ष

बरामदगी – एक ट्रक (12 चक्का) व बीस हजार रूपया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थानाध्यक्ष सुनील कुमार दूबे, का0 बृजभान यादव, का0 विशाल सोनकर,का0 नीरज कुमार थाना अहरौला आजमगढ़ ।